हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठन 55146-153 दिनांक 26 अगस्त, 2020

अधिसूचना

क्योकि उपायुक्त मण्डी के माध्यम से विभाग में प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर और सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जिला मण्डी के निम्नलिख्ति ग्राम सभा क्षेत्रों के पुर्नगठन हेतु, प्रस्तावनाएं विचाराधीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पचांयती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मण्डी के ग्राम सभा क्षेत्रों, जिनका विवरण निम्न अनुसूची में दिया गया है, को नियमानुसार पुर्नगठित करने का प्रस्ताव करते है और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम पंचायत सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव एवं यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक सुझाव और आक्षेप आमन्त्रित करने के लिए राज्य सरकार के ई–राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला मण्डी के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते है;

यदि निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुर्नगठन/जोडने/काटने व फेरबदल इत्यादि के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हो तो वह अपने सुझाव या आक्षेप इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक के (7) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मण्डी को प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हो, ग्रहण नहीं किए जाएगें;

राज्य सरकार जिला मण्डी के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुर्नगठन बारे में अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

क्र सं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रमों को अवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रमों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रमों के नाम	ग्रम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुर्नगठन उपरान्त समस्त ग्रामों ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में शेष बचे ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	
1	**विकास खण्ड सुन्दरनगर**						
	1 सलापड	1 सुदाहन	1 खुराहल	**सलापड**	1 सलापड	1 सुदाहन	

				कलौनी			
		2 खुराहल			2 खुराहल	2 सलापड	
		3 सलापड					
	2 बायला	1 वहल	चहडी	**जडोल**	1 चहडी	1 वहल	
		2 सिहली			2 जडोल	2 सिहली	
		3 कुराडा				3 कुराडा	
		4 वायला				4 वायला	
		5 वहलग				5 वहलग	
		6 रोपडी				6 रोपडी	
		7 चहडी					
2	**विकास खण्ड गोहर**						
	1 लोट	1 सेरी	डीपी एफ टुंगरासन	काण्डी कमरूनाग	1 डीपी एफ टुंगरासन	1 सेरी	
		2 डीपी एफ टुंगरासन			2 छैनमैगल	2 मुरहाला	
		3 मुरहाला			3 कण्डी	3 डीपी एफ दैन्त	
		4 डीपी एफ दैन्त			4 समनोस	4 चतुरहण	
		5 चतुरहण			5 डीपी एफ गौलहन	5 डीपी एफ बखरयार	
		6 डीपी एफ बखरयार			6 डीपी एफ कमरूनाग	6 लोट	
		7 लोट			7 डीपी एफ काण्डी	7 डीपी एफ धार	
		8 डीपी एफ धार			8 डीपी एफ लोटषुखर	8 डीपी एफ झुर्डी	
		9 डीपी एफ झुर्डी			9 डीपी एफ नरैहल	9 डीपी एफ दयोट	
		10 डीपी एफ दयोट			10 डीपी एफ काण्ढली	10 भूरला	
		11 भूरला			11 डीपी एफ कनजिहरा	11 गणि	
		12 गणि					
	2 रोपडी	1 भैला	गदियाडा	**गोलवां**	1 गदियाडा	1 भैला	
		2 कोछू			2 दलेहड	2 कोछू	
		3 रोपडी			3 गोलवां	3 रोपडी	
		4 बजरोड			4 द्रमंण	4 बजरोड	
		5 डुधली			5 निरोहली	5 डुधली	

		6 धमीरू			6 पन्तेहड	6 धमीरू	
		7 कुनी			7 साननखेडा	7 कुनी	
		8 गदियाडा			8 कलैहडु	8 सिहारल	
		9 सिहारल			9 चिहड		

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्तः 55146-153 दिनांक 26 अगस्त, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1 उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को इस आश्य सहित कि वह इस अधिसूचना के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त सुझवों/आक्षेपों यदि कोई हो, को सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 3 दिनों के भीतर निपटारा करके ई–मेल या विशेष वाहक द्वारा इस निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

2 जिला पचांयत अधिकारी मण्डी को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना का सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करवाएगें।

3 समस्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, जिला मण्डी हि0प्र0. को इस आश्य सहित कि वह उक्त अधिसूचना की एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पचांयत के प्रधान/सचिव को सम्बन्धित ग्राम सभा क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु उपलब्ध करवाएं तथा इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें।

4 समस्त सम्बन्धित प्रधान/सचिव ग्राम पचायत जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश सहित कि वह उक्त अधिसूचना की प्रति का ग्राम सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों तथा ग्राम पंचायत के सूचना पटट पर चसपान सुनिश्चित करवाऐगें तथा इस अधिसूचना का समस्त ग्राम सभा क्षेत्र में व्यापक प्रचार करे।

संयुक्त सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।